IV ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन

ऋण सुपुर्दगी तंत्र और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने साल के दौरान कई नए उपाय किए। इनमें से कुछ उपायों में शामिल हैं- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए प्रमाणित क्रेडिट परामर्शदाता (सीसीसी) स्कीम की शुरुआत, एमएसएमई क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के आकलन हेतु सर्वेक्षण करना, संशोधित अग्रणी बैंक योजना लागू करना, वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति की कुछ अहम सिफारिशों का कार्यान्वयन और वित्तीय साक्षरता के लिए भी अभिनव पद्धतियां। वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करने का कार्य भी चल रहा है। ऋण सुपुर्दगी तथा वित्तीय समावेशन के तहत कुछ परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान किया जाएगा, ताकि प्रभावोत्पादकता का निर्धारण किया जा सके।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने पूरे देश में सभी वर्गों तक बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों, खासकर कृषि और सूक्ष्म तथा लघु उद्यम क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे। ऋण सुपुर्दगी को सुधारने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से 2017-18 के दौरान कई प्रयास किए गए। इनमें से कुछ प्रयास थे- अधिक रोजगार प्रधान क्षेत्रों को ज्यादा ऋण प्रवाह पर जोर देते हुए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के बारे में दिशानिर्देशों में संशोधन किया जाए, जिलों के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) का संशोधन किया जाए और वित्तीय समावेशन के दायरे में अधिकाधिक लोगों को लाने के लिए वित्तीय साक्षरता हेतु अभिनव पद्धतियों को अपनाया जाए। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, वित्तीय समावेशन संबंधी मध्यम-अवधि पथ विषयक समिति (2015) की कुछ अहम सिफारिशों का कार्यान्वयन किया गया, जिसमें लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से एमएसएमई हेतु सीसीसी योजना की शुरुआत, कारोबारी प्रतिनिधि (बीसी) रजिस्ट्री पोर्टल और बीसी प्रमाणन कोर्स शामिल हैं। वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए, यथा- वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) संबंधित पायलट परियोजना की शुरुआत और वित्तीय जागरूकता-संदेशों के प्रसार हेतु विभिन्न माध्यमों का प्रयोग। वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी) रिज़र्व बैंक की वित्तीय समावेशन कार्ययोजना के सुचारु कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग है और इस विभाग द्वारा वित्तीय समावेशन पर व्यापक प्रगतिशील कार्यनीतिक दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वर्ष 2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

IV.2 चूंकि नीति निर्माण और कार्यनीति डिजाइन करने के लिए डेटा की सत्यता और सुसंगति बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों से डेटा प्राप्त करने के लिए आरंभ किए गए ऑटोमेटेड डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट (एडीईपीटी) के कार्यान्वयन को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया गया है। इसी प्रकार वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) के तत्वाधान में वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीतिक दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

IV.3 वर्ष 2018-19 हेतु प्रथम द्विमासिक मौद्रिक नीति के अंतर्गत विकासात्मक और विनियामकीय नीति विषयक वक्तव्य में कहा गया था कि 'सभी के लिए एक ही शिक्षा' वाला रुख अख़्तियार करके विभिन्न प्रकार के लक्ष्य-समूहों को वित्तीय शिक्षा प्रदान करने से इष्टतम परिणाम नहीं मिल रहे हैं, अतः वित्तीय शिक्षण का कार्य भिन्न-भिन्न समूहों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करके किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से एफआईडीडी ने पांच लक्ष्य समूहों (यथा-कृषकों, लघु उद्यमियों, स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूहों और वरिष्ठ नागरिकों) के

लिए वित्तीय साक्षरता हेतु विशेष सामग्री तैयार की गयी है, जिसका प्रयोग प्रशिक्षकों द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में किया जा सकता है। इन पांचों बुकलेट की सामग्री को रिज़र्व बैंक के वित्तीय शिक्षण वेबपेज से डाउनलोड किया जा सकता है। बैंकों के वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) से कहा गया है कि वे अनिवार्य रुप से लक्ष्यानुरूप वित्तीय साक्षरता कैंप लगाते हुए इन बुकलेटों की सहायता से शिक्षण संरचना बनाएं।

ऋण सुपुर्दगी

प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र

IV.4 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण (पीएसएल) प्रदान करने की व्यवस्था का उद्देश्य ऋण सुविधा को समाज के उन कमजोर वर्गों की पहुंच तक ले जाना है, जो उनकी ऋण पात्रता में कल्पित कमी के कारण ऋण से वंचित रह जाते हैं। कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिए कृषकों को, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्यमों का आवासन के लिए गरीबों को, शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को, निम्न आय वर्ग के अन्य समूहों और कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले छोटे ऋणों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण में शामिल किया गया है। सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को भी इसी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण (पीएसएल) देने से संबंधित उपलब्धियों की दृष्टि से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) का के लक्ष्य कार्यनिष्पादन सारणी IV.1 में दिया गया है।

सारणी IV.1: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण वितरण के लक्ष्यों की प्राप्ति संबंधी कार्यनिष्पादन

(₹ बिलियन)

मार्च के अंत में	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2017	19,889	7,110	1,238
	(39.5)	(42.5)	(36.4)
2018	20,723	8,046	1,402
	(39.9)	(40.8)	(38.3)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) की तुलना में प्रतिशत अथवा तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर (ओबीई) ऋण के समान, संबंधित समूहों में जो कोई भी अधिक हो।

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विवरणी।

IV.5 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में उन बैंकों को प्रोत्साहित करने वाली व्यवस्था के रूप में की गई थी जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत विभिन्न वर्गों को उधार देने के अपने लक्ष्यों से आगे निकल चुके हैं। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के समान ही पीएसएलसी भी बाजार तंत्र को यह अनुमति प्रदान करता है कि वह विभिन्न बैंकों की तुलनात्मक मजबूती का लाभ लेते हुए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार को संचालित करे। उदाहरण के लिए, एक बैंक जो छोटे और सीमांत किसानों को उधार देने में विशेषज्ञता रखता है वह अपने लक्ष्य से आगे जा सकता है तथा पीएसएलसी के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य से अधिक क्रेडिट देने की अपनी उपलब्धि की बिक्री करते हुए लाभ कमा सकता है। एक अन्य बैंक जो लघु उद्यमों को उधार देने में अच्छा है वह माइक्रो-उद्यमों के ऋण के लिए पीएसएलसी की बिक्री करते हुए इन प्रमाणपत्रों को खरीद सकता है। रिज़र्व बैंक ने अपने कोर-बैंकिंग सॉल्यूशन पोर्टल (ई-कुबेर) के माध्यम से बैंकों को इन प्रमाणपत्रों का व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है।

IV.6 वर्ष 2017-18 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) सहित समस्त पात्र संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता पीएसएलसी प्लेटफॉर्म पर पायी गयी है। मार्च 2017 के अंत में पीएसएलसी व्यापार की कुल मात्रा ₹498 बिलियन थी जिसकी तुलना में मार्च 2018 के अंत में इसके व्यापार की कुल मात्रा ₹1843.3 बिलियन हो गयी। पीएसएलसी की 4 श्रेणियों में से सर्वाधिक व्यापार पीएसएलसी-सामान्य तथा पीएसएलसी -लघु एवं सीमांत कृषक में पाया गया जिस का लेनदेन की मात्रा क्रमशः ₹796.72 बिलियन और ₹696.22 बिलियन थी।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा

IV.7 विदेशी बैंक, जिनकी 20 और उससे अधिक शाखाएं थीं, उन्हें पंचवर्षीय (2013-18) रोडमैप पर रखा गया था, जिसके उपरांत 2017 में उनकी समीक्षा करते हुए छोटे और सीमांत किसानों तथा सूक्ष्म उद्योगों को उधार देने के संबंध में उप-लक्ष्य लागू किए जाने थे। तदनुसार, समीक्षा के बाद यह निर्णय

सारणी IV.2: कृषि ऋण के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(₹ बिलियन)

वर्ष	वाणिज्यिक बैंक		सहकारी बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016-17	6,250	7,998	1,500	1,428	1,250	1,232	9,000	10,658
2017-18 *	7,040	8,772	1,560	1,504	1,400	1,410	10,000	11,685

*: अनंतिम।
टिप्पणी: संख्याओं को पूर्णांकित किए जाने के कारण यह संभव है कि आकड़ो का योग कुल योग के बराबर न हो।
स्रोत: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)।

लिया गया कि उनके प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लक्ष्यों को घरेलू बैंकों के समरूप बनाया जाए तथा समायोजित निवल बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 8 प्रतिशत अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की राशि के बराबर क्रेडिट (सीईओबीई), जो भी अधिक हो, छोटे और सीमांत किसानों को उधार देने का उप-लक्ष्य निर्धारित किया जाए; और सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने के लिए एएनबीसी का 7.5 प्रतिशत अथवा सीईओबीई, जो भी अधिक हो, का उप-लक्ष्य लागू किया जाए जो वर्ष 2018-19 से प्रभावी होगा।

IV.8 हितधारकों से प्राप्त प्रतिसाद और अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि सूक्ष्म/लघु और मध्यम उद्यम (सेवा क्षेत्र) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकृत प्रति उधारकर्ता के लिए क्रमशः मौजूदा ₹50 मिलियन और ₹100 मिलियन की ऋण सीमा समाप्त कर दी जाए। तदनुसार, एमएसएमई विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत उपकरण निवेश के रूप में पारिभाषित सेवाओं में व्यवसायरत सभी एमएसएमई को बैंक ऋण, बिना किसी ऋण सीमा के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत मान्य होंगे।

IV.9 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत परिभाषित किफायती आवासन योजना हेतु दिए जाने वाले आवास ऋणों के संबंध में पीएसएल दिशानिर्देशों का अधिकाधिक संकेंद्रण करने के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व निम्न आय वर्ग के लिए कम लागत वाला घर देने को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि पीएसएल पात्रता हेतु आवास ऋण सीमाओं को संशोधित किया जाए और महानगर के केंद्रों (दस लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले) में इसकी वर्तमान सीमा ₹2.8 मिलियन से बढ़ाकर ₹3.5 मिलियन तथा अन्य केंद्रों पर मौजूदा सीमा को ₹2.0 मिलियन से बढ़ाकर ₹2.5 मिलियन किया गया बशर्ते महानगर केंद्रों में तथा अन्य केंद्रों पर आवासीय इकाई की सकल लागत क्रमशः ₹4.5 मिलियन और ₹3.0 मिलियन से अधिक न हो।

कृषि क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता

IV.10 भारत सरकार प्रतिवर्ष कृषि ऋण के लिए लक्ष्य तय करती रही है। 2017-18 के दौरान सरकार ने कृषि ऋण के लिए ₹10,000 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया था। 31 मार्च, 2018 तक वाणिज्यिक बैंकों ने अपने लक्ष्य का 124.6 प्रतिशत हासिल किया जबकि सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने क्रमशः 96.4 प्रतिशत और 100.7 प्रतिशत हासिल किया (सारणी IV.2)। सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य ₹11,000 बिलियन रखा है।

IV.11 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का लक्ष्य सरलीकृत और लचीली प्रक्रियाओं के साथ किसानों को पर्याप्त और समय पर संस्थागत ऋण प्रदान करना है। यह योजना एससीबी, आरआरबी और सहकारी बैंकों द्वारा लागू की गई है। इसमें दोनों ऋणों -अल्पकालिक फसल ऋण और मीयादी ऋण- के घटक शामिल हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान इस योजना के तहत हुई प्रगति को सारणी IV.3 में दर्शाया गया है।

सारणी IV.3: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(संख्या मिलियन में, राशि ₹ बिलियन में)

वर्ष	क्रियाशील केसीसी की संख्या	बकाया कृषि ऋण	बकाया मीयादी ऋण
1	2	3	4
2016-17	23.37	3,851.89	498.13
2017-18*	23.53	3,911.34	419.80

*: अनंतिम।
स्रोत: सरकारी क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक।

सारणी IV.4: प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत उपाय

(संख्या मिलियन में, राशि ₹ बिलियन में)

वर्ष	ऋण पुनर्रचना/ पुनर्निर्धारण		नए वित्त/ प्रदत्त पुनर्वित्त	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
2017-18*	0.10	11.88	0.48	13.68

*: अनंतिम

स्रोत: राज्य स्तरीय बैंकर्स कमिटी (एसएलबीसी)।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत उपाय

IV.12 समय-समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं देश के कुछ हिस्सों में मानव जीवन और संपत्ति एवं खड़ी फसलों को व्यापक क्षति पहुंचाने का कारण बनती हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले विनाश से निपटने में सभी एजेंसियों (बैंकों सहित) द्वारा बड़े पैमाने पर पुनर्वास प्रयासों की आवश्यकता होती है। 2017-18 के दौरान, पांच राज्यों, यथा- आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात ने प्राकृतिक आपदा की घोषणा की। बैंकों द्वारा दिए गए राहत उपायों के संबंध में डेटा रखने के लिए अलग से एक पोर्टल विकसित किया गया था (सारणी IV.4)।

सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) में ऋण उपलब्धता

IV.13 एमएसएमई को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपाय और पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों के परिणामस्वरूप एमएसई को उपलब्ध कराए गए ऋण में वृद्धि हुई है (सारणी IV.5)।

प्रमाणित ऋण परामर्शदाता (सीसीसी) योजना

IV.14 वर्ष 2016-17 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में 05 अप्रैल 2016 को की गयी घोषणा के अनुसरण में

सारणी IV.5: एमएसई को क्रेडिट प्रवाह

वर्ष	खातों की संख्या (मिलियन)	बकाया राशि (₹ बिलियन)	एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई क्रेडिट
1	2	3	4
2016-17	23.2	10,701.3	14.3
2017-18	25.9	11,493.5	14.6

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विवरणी।

ऋण परामर्शदाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक फ्रेमवर्क तैयार करके सिडबी को दिया गया था, जिसके बाद सिडबी ने जुलाई 2017 में प्रमाणित ऋण परामर्शदाता (सीसीसी) योजना की शुरुआत की। सीसीसी के पंजीयक प्राधिकरण की भूमिका निभाते हुए सिडबी ने इस योजना के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए (विवरण https://udyamimitra.in/Home/CCC पर उपलब्ध है)। सीसीसी से यह अपेक्षित है कि कारोबार-प्रस्ताव और वित्तीय दस्तावेज/विवरणियाँ तैयार करने में एमएसएमई को सलाह दे। सीसीसी बाजार में उपलब्ध उचित क्रेडिट माध्यमों/उत्पादों की भी जानकारी एमएसएमई को साझा करेंगे। जागरूकता और अधिक बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह दी है कि वे अपने क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारियों/इससे जुड़े अधिकारियों को इस योजना का जानकार बनाएँ। 30 जून 2018 तक, सिडबी में 512 क्रेडिट परामर्शदात्री संस्थाएं और 13 प्रमाणित क्रेडिट परामर्शदाता पंजीकृत हुए हैं।

IV.15 पिछले पाँच दशकों में कई चुनौतियों का सामना करते हुए एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र ने रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने और निर्यात को बढ़ाने में ही नहीं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है जिससे क्षेत्रीय स्तर पर सामाजिक-आर्थिक असंतुलन घटा है। एमएसएमई को सहायक इकाई के रूप में, बड़े उद्योगों का पूरक माना गया है। एमएसएमई क्षेत्र में हो रही कठिनाइयों का मूल्यांकन करने के लिए उपलब्ध सीमित आंकड़ों को देखते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण कराया गया और जनवरी-फरवरी 2018 के दौरान विभिन्न राज्यों से 2355 एमएसएमई तथा बैंकों की 1790 शाखाओं से फीडबैक यह परीक्षण करने के लिए लिया गया कि (क) क्या एमएसएमई को क्रेडिट की उपलब्धता आपूर्ति पक्ष के मुक़ाबले मांग पक्ष के प्रति अनुकूलित थी, तथा (ख) एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में विभिन्न सरकारी योजनाएँ कितनी प्रभावी रहीं। बॉक्स IV.1 में सर्वेक्षण के आंकड़ों का अनुभवजन्य विश्लेषण उपलब्ध है ताकि औपचारिक वित्त तक एमएसएमई

बॉक्स IV.1
एमएसएमई की औपचारिक वित्त तक पहुँच: कतिपय मूल्यांकन

विश्वभर में छोटी राशि के ऋणों पर आ रही उच्च लेन-देन लागत और जानकारी की असमानता के कारण सूक्ष्म और छोटी फ़र्में औपचारिक वित्त प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करती हैं। महत्वपूर्ण विषय होने के बावजूद, भारत के संदर्भ में छोटी फ़र्मों की औपचारिक वित्त तक पहुँच को निर्धारित करने वाले कारकों को समझने के बहुत कम प्रयास (यथा, ईस्टवूड और कोहली 1999, कोहली 1997 तथा नीकाइडो और अन्य, 2015) हुए हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के डेटा के आधार पर, लॉजिट मॉडल की मदद से एमएसएमई फ़र्म की औपचारिक वित्त के स्रोत तक पहुँच की संभाव्यता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। एमएसएमई द्वारा औपचारिक क्षेत्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत बताने पर निर्भर चर का मान 1 लिया गया है ,अन्यथा इसे 0 लिया गया है। स्वतंत्र चर के दो समुच्चयों - फ़र्म विशिष्ट और स्वामित्व विशिष्ट - का उपयोग किया गया है। स्वामित्व विशिष्ट चर आयु प्रोफ़ाइल, सामाजिक समूह, धर्म, लिंग और शिक्षा हैं। फ़र्म विशिष्ट कारक फ़र्म की आयु, क्रियाकलाप, कार्मिकों की संख्या, वार्षिक टर्नओवर, तथा फ़र्म का आकार हैं। लॉजिट विश्लेषण के परिणाम नीचे (सारणी 1) में दिए गए हैं।

इस प्रकार यदि एक फर्म 5 वर्षों से अधिक परिचालन में है तो वित्त पोषण के मुख्य स्रोत के रूप में इसके पास औपचारिक वित्त होने की संभावना काफी कम है। यह एमएसएमई फर्म के जीवनचक्र के कारण भी हो सकता है क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में पूंजी लागत की आवश्यकता काफी अधिक होती है। यह एमएसएमई फर्मों का परिचालन आरंभ होने के बाद उसे और बढ़ाने के अभाव को भी दर्शाता है। इसके अलावा, विनिर्माण की तुलना में सेवा क्षेत्र एमएसएमई की फर्मों के पास मुख्य स्रोत के रूप में औपचारिक निधीयन होने की अधिक संभावना है। लघु एमएसएमई, जिनका टर्नआवेर 10 लाख से कम है, की तुलना में बड़े आकार की फर्मों के पास सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में औपचारिक निधीयन होने की अधिक संभावना पाई गई। सूक्ष्म और लघु फर्मों की अपेक्षा मध्यम आकार की फर्मों के पास वित्तपोषण तक औपचारिक पहुंच होने की ज्यादा संभावना है।

स्वामित्व-विशिष्ट चरों के संबंध में यह पाया गया है कि कम उम्र के मालिकों की अपेक्षा अधिक उम्र वाले मालिकों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में औपचारिक निधीयन तक पहुंच ज्यादा होती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में औपचारिक स्रोत तक पहुंचने की संभावना के प्रति ज्यादा पढ़ा-लिखा होना बहुत मायने नहीं रखता। इसके बजाय यह पाया गया है कि प्रशिक्षण में भाग लेने से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में औपचारिक स्रोत तक पहुंचने के अवसर महत्वूर्ण रूप से बढ़ जाते हैं। इससे इस विचार को सहयोग मिलता है कि एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट प्रवाह बढ़ाने के लिए उद्यमियों के शिक्षा स्तर की तुलना में प्रशिक्षण देना एक महत्वूर्ण उपाय है।

सारणी 1: अनुभवाश्रित परिणाम

चर /श्रेणी		बाधा अनुपात
फ़र्म की उम्र (आधार ≤ 5 वर्ष)	5-10 वर्ष	0.587***
	>10 वर्ष	0.775*
फ़र्म का क्रियाकलाप (आधार-विनिर्माण)	सेवा	1.444**
	दोनों	4.056**
कार्मिकों की संख्या (आधार <10)	10-20	1.191
	20-50	1.431*
	51-100	1.791
	>100	0.938
वार्षिक टर्नओवर (आधार<10 लाख)	10-50 लाख	4.369***
	50-100 लाख	6.737***
	100-500 लाख	8.467***
	500-1000 लाख	11.808***
	1000-5000 लाख	15.376***
	>5000 लाख	15.577***
प्रशिक्षण सहभागिता (आधार-नहीं)	हाँ	3.131***
आकार (आधार -सूक्ष्म)	छोटा	1.264
	मध्यम	1.708*
उम्र (आधार 18-25 वर्ष)	26-49	2.402**
	50-65	3.624***
	>66	2.493**
सामाजिक समूह (आधार -सामान्य)	अजा	0.969
	अजजा	0.474**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	1.391**
धर्म (आधार-हिंदू)	ईसाई	0.780
	मुस्लिम	1.957**
	अन्य	2.147***
लिंग (आधार-पुरुष)	महिला	1.086
शिक्षा (आधार-अनपढ़)	प्राथमिक	0.466
	माध्यमिक	1.232*
	हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज	1.329
	स्नातक और आगे	1.415
एलआर काई^2 (31) = 705.03	आभासी आर^2 = 0.2508	

***: 1% होने पर महत्वपूर्ण; **: 5% होने पर महत्वपूर्ण;

*: 10% होने पर महत्वपूर्ण।

स्रोत: भा.रि.बै. स्टाफ अनुमान

संदर्भ:

1. ईस्टवुड, आर. एंड कोहली, आर. (1999), 'डाइरेक्टेड क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट इन स्माल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया: एविडेंस फ्राम फर्म लेवल डाटा 1965-78', द जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, 35 (4), 42-63
2. कोहली, आर. (1997), 'क्रेडिट अवेलिबिलिटी एंड स्माल फर्म्स: ए प्राबिट एनालिसिस ऑफ पेनल डाटा', रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ओकेजनल पेपर्स 18, नं. 1। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई
3. नीकाइडो, वाई., पायस, जे., एंड शर्मा, एम. (2015) ' वाट हिंडर्स एंड वाट एनहेंसेज स्माल इंटरप्राइजेसेस एक्सेस टू फार्मल क्रेडिट इन इंडिया?', रिव्यू ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस, 5 (1), 43-52

की पहुँच में विभिन्न फ़र्म और स्वामित्व विशिष्ट विशेषताओं के प्रभाव का विश्लेषण हो।

वित्तीय समावेशन

IV.16 रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन कार्ययोजना को पूरा करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। इस उद्देश्य से वर्ष 2017-18 के दौरान कई नए प्रयास किए गए।

अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) को नया रूप देना

IV.17 जिलों/राज्यों का आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एलबीएस आरंभ की गई थी। वित्तीय क्षेत्र में विगत वर्षों में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने इस योजना की प्रभावोत्पादकता का अध्ययन करने और इसमें सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने हेतु बैंक के कार्यपालक निदेशकों की एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों पर विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया और उनके फीडबैक के आधार पर निर्णय लिया गया कि इस योजना में बदलाव किए जाएं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये बातें भी शामिल होंगी: नीतिगत और परिचालनगत मुद्दों को अलग-अलग करके राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) की कार्यप्रणाली को सरल और कारगर बनाना जिसमें परिचालनगत मुद्दों को विशिष्ट उप समितियां देखेंगी और एक संचालन उप-समिति एसएलबीसी के लिए प्राथमिक कार्ययोजना मदों पर निर्णय लेगी; सभी सहभागी बैंकों के संबंधित सीबीएस के माध्यम से डाटा का सीधे संग्रहण सहित एसएलबीसी की वेबसाइटों के प्रबंधन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण और एसएलबीसी बैठकों के लिए संशोधित कार्ययोजना जिसमें बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) में सीबीएस युक्त बैंकिंग आउटलेट की स्थापना करने पर अधिक ध्यान देते हुए समीक्षाएं की जाएं; बीसी के परिचालन; कनेक्टिविटी सहित भुगतान के डिजिटल माध्यम; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी); वित्तीय साक्षरता की दिशा में पहल; भू-अभिलेखों का डिजिटाइजेशन; और ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर/ क्रेडिट अवशोषण क्षमता को सुधारने पर चर्चा।

अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी)

IV.18 वित्तीय वर्ष 2018-19 से अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत एसएफबी से अपेक्षित है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में एलबीएस के तहत विभिन्न फोरमों में नियमित सदस्यों के रूप में सहभागिता करें यथा- एसएलबीसी, जिला परामर्श समिति (डीसीसी)/ जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) व ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) और वे क्रेडिट आयोजना गतिविधियों का एक हिस्सा भी बनें।

अग्रणी बैंकों को दायित्व सौंपना

IV.19 एलबीएस के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक बैंक को अग्रणी बैंक का दायित्व दिया जाता है और वह उस जिले के बैंकों के प्रयासों का समन्वयन करने के लिए कन्सोर्शियम के नेता की भूमिका निभाता है, विशेषरूप से शाखाओं का विस्तार करने और जिले की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट आयोजना तैयार करने के मामलों में। प्रत्येक जिले में नामित बैंक को अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपने का कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। जून 2018 की स्थिति के अनुसार संपूर्ण देश में 714 जिलों में 20 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और 1 निजी क्षेत्र के बैंक को अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपा गया है।

वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति

IV.20 वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति 2015 (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक) का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मध्यम अवधि में सुस्थिर समावेशी मार्ग पर आगे बढ़ाना था। समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को प्रभावी क्रेडिट वितरण संबंधी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। 2017-18 में क्रियान्वित समिति की कुछ मुख्य सिफारिशें हैं: (क) बीसी रजिस्ट्री पोर्टल आरंभ किया गया ताकि घरेलू एससीबी, आरआरबी को छोड़कर, उनके द्वारा नियुक्त किए गए बीसी से संबंधित डाटा को अपलोड कर सकें। इसके

बाद, डाटाबेस सुस्थापित करने के पश्चात जनता को बीसी ट्रेकर उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; (ख) बीसी के लिए एक बुनियादी प्रमाणन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। पाठ्यक्रम का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कार्य भी कराया जा रहा है; और (ग) एमएसएमई के लिए 2017-18 के दौरान आरंभ की गई प्रमाणित ऋण परामर्शदाता योजना, सूचना के अंतराल को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है और इसलिए इसकी मदद से बैंक बेहतर क्रेडिट निर्णय ले सकेंगे।

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी)

IV.21 वित्तीय समावेशन के लिए सुनियोजित और संरचनाबद्ध दृष्टिकोण रखने के लिए बैंकों को सलाह दी गई है कि वे बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआईपी) तैयार करें। ये एफआईपी बैंक की उपलब्धियों को कुछ मानदंडों पर प्रदर्शित करती हैं जिनमें शामिल हैं, आउटलेट की संख्या (शाखाएं और बीसी), बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए), इन खातों में ली गई ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, किसान क्रेडिट कार्ड और जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) खातों के माध्यम से लेनदेन और बीसी-आईसीटी चैनल के माध्यम से लेनदेन। मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार इन मानदंडों पर हुई प्रगति बैंकों द्वारा यथासूचित की रिपोर्ट सारणी IV.6 में दी गई है।

बैंकिंग सेवाओं की परिव्याप्ति

IV.22 देश के बैंकिंग सुविधा रहित गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के प्रयोग और मध्यस्थों के कारण ही किफायती कीमतों पर बैंकिंग सेवाओं की व्यापक स्तर पर पहुंच संभव हो पाई है। 18 मई 2017 को शाखा प्राधिकरण नीति पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर 'बैंकिंग आउटलेट' पर स्पष्टीकरण देते हुए एसएलबीसी आयोजक बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे गांवों में, जिनकी जनसंख्या 2000 से कम

सारणी IV.6: वित्तीय समावेशन योजना: (एफआईपी) प्रगति रिपोर्ट

विवरण	अंत-मार्च 2010	अंत-मार्च 2017	अंत-मार्च 2018**
1	2	3	4
गाँवों में बैंकिंग आउटलेट - शाखाएँ	33,378	50,860	50,805
गाँवों में बैंकिंग आउटलेट >2000 - बैंक मित्र	8,390	1,05,402	1,00,802
गाँवों में बैंकिंग आउटलेट <2000 - बैंक मित्र	25,784	4,38,070	4,14,515
गाँवों में कुल बैंकिंग आउटलेट - बैंक मित्र	34,174	5,43,472	5,15,317
गाँवों में बैंकिंग आउटलेट - अन्य माध्यम	142	3,761	3,425
गाँवों में बैंकिंग आउटलेट - कुल	**67,694**	**5,98,093**	**5,69,547**
बैंक मित्र द्वारा कवर किया गया शहरी स्थान	447	1,02,865	1,42,959
बीएसबीडीए - शाखाओं द्वारा (संख्या मिलियन में)	60	254	247
बीएसबीडीए - शाखाओं द्वारा (राशि ₹ बिलियन में)	44	691	731
बीएसबीडीए - बैंक मित्र द्वारा (संख्या मिलियन में)	13	280	289
बीएसबीडीए - बैंक मित्र द्वारा (राशि ₹ बिलियन में)	11	285	391
बीएसबीडीए - कुल (संख्या मिलियन में)	**73**	**533**	**536**
बीएसबीडीए - कुल (राशि बिलियन में)	**55**	**977**	**1,121**
बीएसबीडीए में लिया गया ओवरड्राफ्ट सुविधा (संख्या मिलियन में)	0.2	9	6
बीएसबीडीए में लिया गया ओवरड्राफ्ट सुविधा (राशि ₹ बिलियन में)	0.1	17	4
केसीसी - कुल (संख्या मिलियन में)	24	46	46
केसीसी - कुल (राशि ₹ बिलियन में)	1,240	5,805	6,096
जीसीसी - कुल (संख्या मिलियन में)	1	13	12
जीसीसी - कुल (राशि ₹ बिलियन में)	35	2,117	1,498
आईटीसी - खाता - बैंक मित्र - अंतरण की कुल संख्या (संख्या मिलियन में)	27	1,159	1,489
आईटीसी - खाता -बैंक मित्र - अंतरण की कुल संख्या (राशि ₹ बिलियन में)	7	2,652	4,292

**: अनंतिम।
स्रोत: बैंकों की रिपोर्ट के अनुसार।

है और जो अभी तक बैंक सुविधा रहित हैं, सीबीएस सुविधायुक्त बैंकिंग आउटलेट या अंशकालिक बैंकिंग आउटलेट खोलें।

IV.23 शाखा प्राधिकरण नीति पर दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान खोले गए बैंकिंग आउटलेट में से न्यूनतम 25 प्रतिशत आउटलेट्स बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) (अर्थात टियर 5 और 6 केंद्र) में खोलना अनिवार्य है। एसएलबीसी आयोजक बैंकों को सूचित किया गया था कि यूआरसी में नए बैंकिंग आउटलेट खोलते समय बैंक ऐसे यूआरसी को प्राथमिकता दें जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो (अर्थात टियर 5 केंद्र)। ऐसा करने के लिए बैंकों की सुविधा हेतु एसएलबीसी को यह भी सूचित किया गया है कि राज्य के सभी यूआरसी की समेकित और अद्यतन की गई सूची बनाकर रखें और एसएलबीसी बैठकों में इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करें।

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति

IV.24 देश में धारणीय वित्तीय समावेशन को व्यवस्थित तरीके से बढ़ाने के लिए एफआईएसी के तत्वावधान में वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि रिज़र्व बैंक की वित्तीय समावेशन नीतियों, सरकार के जन-धन कार्यक्रम और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति को और गति मिल सके।

IV.25 जनसंख्या के अल्पसेवा प्राप्त और सेवारहित वर्गों तक वित्तीय समावेशन पहुंचाने में अब तक हुई प्रगति का विहंगावलोकन करवाने के अलावा यह दस्तावेज उन प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों की भी विवेचना करेगा जो देश में वित्तीय समावेशन के लिए बाधक हैं। विभिन्न देशों के विश्लेषण के आधार पर यह दस्तावेज समस्त जनता के लिए उपयोग में आसान, किफायती और उचित वित्तीय सेवाओं के प्रावधान द्वारा देश में सतत वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए विज़न और मिशन प्रदान करेगा।

IV.26 वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण फ्रेमवर्क के बीच अंतर-संबद्धता की बढ़ती समझ के साथ दस्तावेज में निम्न कार्यनीतिक स्तंभों का अभिनिर्धारण किया गया है: (क) आवश्यक एक्सेस प्वाइंट और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देश में समुचित भौतिक और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना; (ख) उपयुक्त विनियामकीय फ्रेमवर्क डिजाइन करना जो वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेष और जोखिमों को संतुलित करके वित्तीय सेवा प्रदाताओं को सक्षम बनाए ताकि वे नवोन्मेषी तरीकों से वित्तीय सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करें; (ग) विभिन्न लक्ष्य समूहों के बीच बढ़ती वित्तीय जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना ताकि संभावित ग्राहकों और नए ग्राहकों को उपयुक्त विकल्प चुनने में सक्षम बनाया जा सके ; (घ) ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सशक्त शिकायत निवारण तंत्र और समय पर उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए उचित व्यवस्था करना (ङ) वित्तीय समावेशन की सीमा और मुद्दों का बारीकी से आंकलन करने के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक मूल्यांकन उपकरण डिजाइन करना; और (च) समस्त संबंधित हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय तंत्र को बढ़ावा देना।

वित्तीय साक्षरता

IV.27 रिज़र्व बैंक की वित्तीय समावेशन पहल को प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है। 2017-18 के दौरान इस दिशा में कई नई पहलें की गयीं।

वित्तीय साक्षरता के लिए अभिनव दृष्टिकोण

IV.28 वित्तीय साक्षरता के लिए अभिनव और सहभागितापूर्ण दृष्टिकोणों का विकास करने के लिए, रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 में 9 राज्यों के 80 ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना को वर्तमान में 10 प्रायोजक बैंकों के समन्वय में 6 गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना के निष्पादन में एनजीओ द्वारा अपनाई गई कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव तरीकों को बॉक्स IV.2 में दर्शाया गया है।

IV.29 वित्तीय साक्षरता शिविरों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को यह सुझाव दिया गया है कि वे वित्तीय जागरूकता संदेशों पर ऑडियो-

बॉक्स IV.2
वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफ़एल) पर प्रायोगिक परियोजना

समुदायों की वित्तीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए हब-एंड-स्पोक दृष्टिकोण अपनाया गया है जहां सीएफ़एल सीखने और प्रशिक्षण केंद्र के लिए हब का काम करते है, जिससे ब्लॉक के समुदायों में से प्रशिक्षित मानव संसाधन सृजित होते हैं। तदुपरांत ये प्रशिक्षित मानव संसाधन अपने समुदायों के बीच स्पोक के रूप में काम करते हैं।

एनजीओ कम आय वाले लोगों के बीच उनकी वित्तीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। प्रशिक्षक और सामुदायिक वित्तीय स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा समुदाय के लोगों से जुड़कर वित्तीय शिक्षा दी जाती है। उक्त समुदाय में से ही अच्छे संप्रेषण कौशल वाले लोगों में से *आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं*, *आशा* कर्मचारी और स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों को भर्ती किया जाता है। प्रशिक्षण के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उनमें पीयर लर्निंग तथा सहभागिता से अध्ययन विधियां प्रमुख है।

पहले जन जागरूकता अभियान के तहत एक गांव से 100 लोगों को जागरूक बनाने का लक्ष्य रखा जाता है। इसके बाद, इच्छुक प्रतिभागियों को 25-25 के समूह में बांट कर उनके लिए 3 दिवसीय संकेन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसकी अवधि लगभग 3-4 घंटे प्रतिदिन होती है। इस सुदृढीकरण के माध्यम से प्रतिभागियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है जिससे उनको उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का चयन करने में मदद मिलती है।

पहले चरण में, प्रभाव डालने वाले जैसे स्वयं सहायता समूह के सदस्य, किसान संघ, पंचायती राज संस्थाएं और स्वास्थ्य कर्मियों की पहचान की गई है और उन्हें "चेंज एजेंट्स - सीए" के रूप में नामित किया गया है। फिर इनको ज्ञान और व्यवहार में वांछित परिवर्तनों से युक्त बनाने के लिए कई और बार-बार दोहराए गए साक्षरता सत्रों की श्रृंखला से पोषित किया जाता है।

विधिवत डिजाइन किए गए डिजिटल रूप से सुसज्जित वाहन का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि अशिक्षित लोग और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोग, दोनों समूहों तक पहुंचा जा सके। इस डिजिटल वित्तीय साक्षरता वाहन में वित्तीय साक्षरता सामग्री, ऑडियो / वीडियो (पावर प्वाइंट, डेमो उपकरण इत्यादि) को रखा जाता हैं और इसका प्रबंधन ब्लॉक सलाहकार द्वारा किया जाता है।

विज़ुअल और पोस्टर दिखाने के लिए हैंड-हेल्ड प्रोजेक्टरों का उपयोग करें। हैंड-हेल्ड प्रोजेक्टर और स्पीकर के लिए प्रतिपूर्ति वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) से कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक प्रदान की जाती है, जिसकी राशि प्रति ग्रामीण शाखा / एफएलसी के लिए अधिकतम ₹5,000/- हो सकती है।

IV.30 वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा समर्थित राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) ने रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय जागरूकता संदेशों पर ऑडियो विज़ुअल तैयार किए हैं जैसे कि (क) केवाईसी मानदंडों के तहत पता प्रमाण घोषणा, (ख) बीसी का उपयोग (ग) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली (एनईएफटी / आरटीजीएस) (घ) फर्जी ईमेल / कॉल और पोंजी योजनाओं का शिकार होने से बचाव (ड.) 'भीम' के माध्यम से एकीकृत भुगतान इंटरफेस का उपयोग करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी, और (च) डिजिटल और नकद रहित लेनदेन के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी। वित्तीय साक्षरता हेतु आयोजित शिविरों में ऑडियो-विज़ुअल का उपयोग करने के लिए एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को सलाह दी गई थी।

वित्तीय शिक्षा पर आरबीआई-ओईसीडी का विश्वस्तरीय सिंपोजियम

IV.31 नई दिल्ली में दिनांक 8-9 नवंबर, 2017 के दौरान वित्तीय शिक्षा पर आरबीआई-ओईसीडी उच्च स्तरीय वैश्विक सिंपोजियम का आयोजन रिजर्व बैंक और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के परस्पर सहयोग से किया गया। सिंपोजियम में, बदलते वित्तीय परिदृश्य में प्रभावी वित्तीय साक्षरता नीतियों को लागू करने पर विचारोत्तेजक चर्चाएं हुई और समाधान सुझाए गए और डिजिटल युग में वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस दो दिवसीय आयोजन में 40 देशों के दो सौ चालीस उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें वित्तीय शिक्षा पर ओईसीडी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (ओईसीडी / आईएनएफई), वित्त और शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय बैंक, विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अकादमिक, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों से अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल थे। सम्मेलन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित रहे - (क) देशों ने इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन अपनी राष्ट्रीय नीतियों और उनके परिणामों में करना शुरू कर दिया है; (ख) उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाओं

के माध्यम से ऋण तक पहुंच आसान हुई है लेकिन वे अपनी वित्तीय स्थिति पर पुनर्भुगतान के प्रभाव को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं; (ग) वित्तीय सेवाओं की डिजिटल सुपुर्दगी से वृद्धि और डिजिटल जानकारी न रखने वाले व्यक्तियों जैसे वित्तीय और सामाजिक गैर समावेशन के कई समूह उत्पन्न हो रहे हैं। (घ) डिजिटल उपाय विशेष रूप से युवा श्रोताओं के लिए अधिक आकर्षक वित्तीय शिक्षा विकसित करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं; (ङ) प्रभावी और उपयुक्त नीतियां और प्रथाएं विकसित करने के लिए जनता की वित्तीय साक्षरता के स्तर का प्रमाण होना अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है; और (च) देश नए और मौजूदा निवेशकों की सहायता के लिए व्यावसायिक परामर्श और कार्यस्थल पर पहल को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को पहचान रहे हैं।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह: 2018

IV.32 भारतीय रिजर्व बैंक ने 2017 से प्रमुख विषयों पर प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष में एक सप्ताह 'वित्तीय साक्षरता सप्ताह' के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस साल, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 4-8 जून 2018 के दौरान 'ग्राहक संरक्षण' विषय पर मनाया गया। उक्त सप्ताह, चार उपभोक्ता संरक्षण संदेशों पर केंद्रित था, यथा, "अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में अपनी जिम्मेदारी पहचाने", "बैंकिंग लोकपाल", "सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग अनुभव के लिए अच्छी प्रथाएं" और "जोखिम बनाम प्रतिलाभ "। सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों में बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंक वेबसाइटों पर वित्तीय साक्षरता सामग्री का प्रदर्शन करना और एफएलसी द्वारा शिविरों का आयोजन शामिल था।

IV.33 मार्च 2018 के अंत तक देश में 1,395 एफ़एलसी परिचालनरत थे। पिछले वर्ष के दौरान चलायी गयी 96,315 गतिविधियों की तुलना में, मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान एफ़एलसी द्वारा 1,29,280 वित्तीय साक्षरता संबंधी गतिविधियां चलाई गयीं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

IV.34 इसके अतिरिक्त, प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ऋण-वितरण और वित्तीय समावेशन के लिए निम्नलिखित कदम उठाएगा : (क) काश्तकारों के लिए ऋण वितरण ढांचा तैयार करना; (ख) बैंकों के सीबीएस से स्वचालित और समय पर प्राप्त करने के लिए एडीईपीटी के साथ वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) डेटा का एकीकरण करना; (ग) एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रायोगिक सीएफएल परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना और (घ) "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करें" कार्यक्रम के माध्यम से कारोबार प्रतिनिधि की क्षमताओं में विकास कर बीसी मॉडल को मजबूत करना।